कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांकः—कृ0नि0 / 663 **/ स्था0 / वार्षिक स्थाना0अधि0 / 2019—20 / दिनांक** 10/05/19

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः— 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017' के तहत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2019—20 में कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017' के तहत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2019—20 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु 'लिपिक संवर्ग', 'कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता', 'मानचित्रक', 'अनुरेखक' तथा 'लेखा संवर्ग' के कार्मिकों के सुगम—दुर्गम कार्यस्थलों पर अवधि का विवरण एवं पात्र कार्मिकों की सूची उत्तराखण्ड/विभागीय वैबसाईट में अपलोड कर दी गई है। आप अपने—अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों से अपलोड की गई सूची में अपने से सम्बन्धित सुगम व दुर्गम कार्यअवधि का परीक्षण करवा लें। यदि किसी कार्मिक को सुगम व दुर्गम कार्य अवधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो उनका प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित निदेशालय को दिनांक 18.05.2019 तक उपलब्ध करायें।

स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक अपलोड की गई सूची में अंकित वास्तविक व संभावित रिक्तियों में से स्थानान्तरण हेतु वरीयताक्रम में अधिकतम 10 विकल्प तथा जो कार्मिक स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण चाहते हैं उनके वरीयताक्रम में इच्छित अधिकतम 10 विकल्प प्राप्त कर दिनांक 18.05.2019 तक निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों से स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में उनका प्रार्थना—पत्र तथा सक्षम स्तर से जारी प्रमाण—पत्र/साक्ष्य प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध करायें ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

पत्रांकः—कृ0नि0 / / स्था0 / वार्षिक स्थाना0अधि0 / 2019—20 / दिनांक

प्रतिलिपिः— निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों को उपरोक्तानानुसार परिपालनार्थ।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड